

दावा बाबत धारा 53-188 आर टी एक्ट


मुकदमा नम्बर :-50/2013 रा.वा.

निर्णय दिनांक :-26.06.2015

वादी की ओर से चतरा की व प्रतिवादी की ओर से रामा व दयाराम की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 26.06.2015 को शैलेश सुराणा (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - मौजा मगरा बावसी की जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 के खाता नम्बर 119 कुल किता 19 रकबा 2.75 हैक्ट. कृषि भूमि में से वादी श्री चतरा पिता सींगरा मीणा के नाम आ.नं. 182/0.16 - 186/0.48 में से 0.30 हैक्ट. व 187/0.02 - 188/0.57 - 189/0.02 - 190/0.01 - 195/0.20 में से 0.10 हैक्ट. तथा आ.नं. 203/0.23 कुल किता 8 रकबा 1.41 हैक्ट. कृषि भूमि दर्ज की जावे तथा बंटवाडा फहरिशत में चतरा पिता सींगरा को प्रस्तावित की जाकर नक्शा ट्रेस में हरे रंग से दर्शायी गई उक्त भूमि के उत्तर दिशा में स्थित आ.नं. 195/0.20 में से 0.10 हैक्ट. व आ.नं. 192/0.15 - 194/0.03 - 196/0.01 - 197/0.07 - 198/0.03 - 199/0.02 - 200/0.07 - 201/0.01 कुल किता 9 रकबा 0.49 हैक्ट. कृषि भूमि श्री रामा पिता सींगरा के नाम तथा शेष बची आ.नं. 183/0.02 - 184/0.60 - 185/0.05 - 186/0.48 में से 0.18 हैक्ट. कुल किता 4 रकबा 0.85 हैक्ट. कृषि भूमि श्री दयाराम पिता सींगरा मीणा के खाते दर्ज की जावे। तदनुसार खाते पृथक-पृथक किये जावे। तहसीलदार ऋषभदेव तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में पालना सुनिश्चित करेंगे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 26.06.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


26/6/15
(शैलेश सुराणा)
(पीठासीन अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी
ऋषभदेव

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी		
	रूपया	रूपया	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	2.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	1.00	अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	0	प्लीडर की फीस	0
4.रूपये पर प्लीडर की फीस	0	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	0	आदेशिका की तामील	0
6. कमिश्नर की फीस	0	कमिश्नर की फीस	0
7. आदेशिका की तामील	3.00		0
जोड	6.00	जोड	0